डिगरी व मुकदमे इव्तदाई

(ओ० 20 रू० 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत SDO .... मुकाम [illegible]

इजलास सुरेश कुमार [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

द्रावा बावत 53-188 [illegible]

मुकदमा नं० 112/17 .... सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू [illegible]

बहाजिरी .... मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि [illegible]

[illegible] 156/0.09, 157/2/0.19, 116/0.26, 981/98/0.14, 453/2/0.07, [illegible] 0.25

[illegible]

[illegible] 157/1/0.28, [illegible]

आज .... मुबलिग .... [illegible]

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... को सर्दी सालाना आज की

तारीख से तारीख वसूलयावी .... तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 02 सन 2019

को जारी की गई।

दस्तखत [illegible]

मुहर .... ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	4		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	4		महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	10	-	मीजान		

उपखण्ड- अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0 110/2018 राजस्व वाद

1–अमर मौहम्मद पुत्र सिरदार जाति मेव निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामां जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1 –बुधमल पुत्र बोदन
2– सौदान पुत्र बोदन
3– भाना पुत्र बोदन
4–बूटाराम पुत्र बरकतराम
5–किशनलाल पुत्र बरकतराम जाति राजपूत निवासी रोशियाका तहसील कामां
6–रजाक पुत्र सिरदार
7–सौराब पुत्र सिरदार
8–गनी पुत्र सिरदार जाति मेव निवासी ग्राम रोशियाका तहसील कामां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 .188 R.T.Act

निर्णय दिनांक 04-02-2019

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 151 का आराजी ख0नं0 574/0.15, खाता संख्या 152 के खसरा नम्बर 156/0.09, 157/0.47,खाता संख्या 305 के खसरा नम्बर 116/0.26, 145/0.30, 231/0.32, 319/1.05, 981/99/0.14, 609/0.37, 454/0.02, 455/0.03, खाता संख्या 306 के खसरा नम्बर 52/0.19, 575/0.11 ,खाता सं0 307 के खसरा नम्बर 453/0.16 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सम्मिलित जोत व खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड सामलाती तौर से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं और मौके पर इस वक्त की सामलाती तौर पर काबिज काश्त है । आपसी सहमति से बंटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया । वादी प्रतिवादीगण के मध्य सामलाती काश्त करने में परेशानी आ रही है । मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर अलग अलग राज लगान व जमाबन्दियां कायम किया जावे समस्त आराजी मुतदाविया से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है । ना ही इस वक्त है लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण लट्ठ व ताकत के बल पर वादी के हिस्से की आराजी में मजाहमत व मदाखलत करना चाहते हैं तथा काश्त करने में व्यवधान पैदा करते

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

है। तथा आराजी की दीगर जगह रहन व मुन्तकिल करना चाहते है जिसकी बावत प्रतिवादीगण ने दिनांक 7.7.2017 को ऐलानियां धमकी दी है । यदि प्रतिवादी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी । जिसकी पूर्ति जरै नकद से कदापि सम्भव नहीं है । विदि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी जारी करा पाने के अधिकारी तथा आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादी के मध्य मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन किया जाकर अलग अलग राज लगान व जमाबन्दी कायम की जावे ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी उपस्थित आये । राजस्व रिकार्ड के मुताविक हिस्सा बंटवारा कराये जाने पर सहमति व्यक्ति की तथा प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार कामां को उक्त आराजी के कुर्रेजात तैयार करने हेतु निर्देर्शित किया गया । प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार कामां द्वारा कुर्रेजात तैयार किये जाकर प्रस्तुत किये।जो निम्न प्रकार से है :–

1–इदरीश, रत्ती पिसरान माना कौम मेव साकिन देह खातेदार राहिन बी0ओ0.बी कामां मुर्तहन आ0ख0नं0 156/0.09, 157/2/0.19, 116/0.26, 981/99/0.14, 453/2, /0.07 किता 5 रकवा 0.75 वाके ग्राम ~~वाके~~ रोश्याका तहसील कामां

2–बूटाराम, किशनलाल पिसरान बरकतराम कौम राजपूत बहिस्सा बराबर साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 157/1रकवा 0.28 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

3–बुधमल पुत्र बोदन कौम मेव सा0देह खातेदार राहिन बी0ओ0.बी0कामां मुर्तहन खसरा नम्बर 574/0.15, 319/2 रकवा 0.69 किता 2 रकवा 0.84 वाके ग्राम रोशियाका

4–सौदान पुत्र बोदन कौम मेव सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0.बी0जे0 कामां मुर्तहन आ0ख0नं0 319/1/0.36, 231/0.32, 453/1/0.09, 575/0.11, 454/0.02, किता 5 रकवा 0.90 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

5–अमरमौहम्मद पुत्र सिरदार कौम मेव सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0.बी0जे0 कामां मुर्तहन ख0न0 52/0.19, 455/0.03 किता 2 रकवा 0.22 वाके ग्राम रोशियाका तह0कामां

6–रजाक पुत्र सिरदार कौम मेव साकिन देह खातेदार राहिन एस0बी0.बी0जे0 कामां मुर्तहन खसरा नम्बर 145/1 रकवा 0.22 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

7–सौराव पुत्र सिरदार कौम मेव सा0देह खातेदार
खसरा नम्बर 145/2 रकवा 0.08, 609/1 रकवा 0.15 किता 2 रकवा 0.23 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

8–गनी पुत्र सिरदार कौम मेव साकिन देह खातेदार बी0ओ0.बी कामां मुर्तहन खसरा नम्बर 609/2 रकवा 0.22 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

सहखातेदारान की उपस्थिति में कुर्रे तैयार किये गये तथा मुताबिक कब्जा के अनुसार तैयार किये गये । वादी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमति जाहिर की ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उपलब्ध दस्तावेज का मनन किया तथा तथा तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात का अवलोकन किया गया है । तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत कुर्रे पर वादी प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है अतः तहसीलदार कामां के कुर्रे के अनुसार विभाजन किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि –

तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत कुर्रे अनुसार विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है ।

1– इदरीश, रत्ती पिसरान माना कौम मेव साकिन देह खातेदार राहिन बी0ओ0.बी कामां मुर्तहन आ0ख0नं0 156/0.09, 157/2/0.19, 116/0.26, 981/99/0.14, 453/2/0.07 किता 5 रकवा 0.75 वाके ग्राम ~~बाके~~ रोश्याका तहसील कामां

2–बूटाराम, किशनलाल पिसरान बरकतराम कौम राजपूत बहिस्सा बराबर साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 157/1रकवा 0.28 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

3–बुधमल पुत्र बोदन कौम मेव सा0देह खातेदार राहिन बी0ओ0.बी0कामां मुर्तहन खसरा नम्बर 574/0.15, 319/2 रकवा 0.69 किता 2 रकवा 0.84 वाके ग्राम रोशियाका

4–सौदान पुत्र बोदन कौम मेव सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0.बी0जे0 कामां मुर्तहन आ0ख0नं0 319/1/0.36, 231/0.32, 453/1/0.09, 575/0.11, 454/0.02, किता 5 रकवा 0.90 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

5–अमरमौहम्मद पुत्र सिरदार कौम मेव सा0 देह खातेदार साहिन एस0बी0.बी0जे0 कामां मुर्तहन ख0न0 52/0.19, 455/0.03 किता 2 रकवा 0.22 वाके ग्राम रोशियाका तह0कामां

6–रजाक पुत्र सिरदार कौम मेव साकिन देह खातेदार राहिन एस0बी0.बी0जे0 कामां मुर्तहन खसरा नम्बर 145/1 रकवा 0.22 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

7–सौराव पुत्र सिरदार कौम मेव सा0देह खातेदार खसरा नम्बर 145/2 रकवा 0.08, 609/1 रकवा 0.15 किता 2 रकवा 0.23 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां

8–गनी पुत्र सिरदार कौम मेव साकिन देह खातेदार बी0ओ0.बी कामां मुर्तहन खसरा नम्बर 609/2 रकवा 0.22 किता 1 रकवा 0.22 वाके ग्राम रोशियाका

तहसीलदार कामां को मुताविक कुर्रे राजस्व रिकार्ड में अमल एवं राजस्व लगान मुताबिक हिस्सा किया जाने हेतु डिकी जारी की जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जी जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

04-02-2019

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां जिला भरतपुर